


29/3/23 फावली पेश हुई। वही एवं
वही वकील - अनुपस्थित। मूल वाद 0-9 R-2/
0-9 R-5 में खारिज किया जा चुका है अतः
प्राथमिक 212 का कोई औचित्य नहीं है
अतः प्राथमिक 212 की इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।

फावली नम्बर से कम है।

वाद शर्तों का खैल दफ्तर है। सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
पहरोड़ (अनवर) राज.